2017/00063

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, RAS

प्रकरण संख्याः 13 / 2021

उनवान

श्री सुरेश पिता रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी उडूका तहसील गढी बांसवाडा।

–: वादी

बनाम

(1) गौतम पिता रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी डडूका तहसील गढी बांसवाडा।

(2) भैया पिता रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी उडूका तहसील गढी बांसवाडा ।

(3) कान्तु पिता रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी डडूका तहसील गढी बांसवाडा।

(4) लाला पिता नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी डडूका तहसील गढी बांसवाडा।

(5) वेलजी पिता नाथु जाति भील उम्र वयस्क निवासी डडूका तहसील गढी बांसवाडा।

(6) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 14.5.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 05 के स्वामित्व और आधिपत्य की पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की खाता संख्या 133 (नई) 133 (पुरानी) के कुल किता 11 रकबा 0.57 हे0, खाता संख्या 177 (नई) 178 (पुरानी) किता 01 रकबा 0.06 हे0, खाता संख्या 167 (नई) 187, 176 (पुरानी) कुल किता 03 रकबा 0.36 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भुमि पर काबिज होकर काश्तकर उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियो की उक्त त्रुटी से जमाबन्दी संवत 2071–2074 मे वादी का नाम सुरेश के स्थान पर गटू दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के नाम से जारी आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह,बैंक ऑफ बडौदा के खाते, नरेगा जॉबकार्ड, जनआधार कार्ड, सहकारी मिनी बैंक, एवं प्रार्थी के पुत्रो के विद्यालय रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम सुरेश अंकित है। जिस कारण प्रार्थी के उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरस्त कर वादी का नाम गदु के स्थान पर सुरेश किया जाना आवश्यक है। इस हेतु दावा हस्ब धारा 88 रा.का.अ. एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 की ओर से श्री जगदीश सिंह, अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। प्रकरण में भूमिधारी, तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी वादी का नाम गटु के स्थान पर सुरेश किया जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

दौराने कार्यवाही पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम गटु के स्थान पर सुरेश दर्ज किया जाने का है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, राजस्व अभिलेख एंव सुरेश गेहलोत के निर्वाचन आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति, तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एंव प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा है कि पटवार हल्का डडूका के मौजा डडूका की खाता संख्या 133 (नई) 133 (पुरानी) के कुल किता 11 रकबा 0.57 हे0, खाता संख्या 177 (नई) 178 (पुरानी) किता 01 रकबा 0.06 हे0, खाता संख्या 167 (नई) 187, 176 (पुरानी) कुल किता 03 रकबा 0.36 हे0 भूमि में दर्ज गटु के स्थान पर सुरेश बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore

Date: 2022.06.10 10:27:20 IST

Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी

Scanned by CamScanner